न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 134 सन 2016
अनवान :–

1. शान्ति जोजा देवीलाल जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. सुभाष पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. इन्द्र पुत्र जसराम जाति जाट निवासी नेहराना तहसील नोहर (फोत)
   2/1 शकुन्तला पत्नी इन्द्र 2/2 कुलदीप पुत्र इन्द्र 2/3 निलम पुत्री इन्द्र जाति जाट साकिन नेहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल–1

निर्णय दिनांक :– 16/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नेहराना के साबिका खसरा न0 81 की 25.00 बीधा भूमि नानुराम पुत्र मोजीराम के नाम 25.18 बीधा खातेदारी दर्ज थी तथा उसके चिपते हुए खसरा में 2.16 बीधा भूमि थी जिसको नानुराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.04.1974 को देवीलाल पुत्र हरिराम को विक्रय कर दी मौका पर कब्जा दिया जाकर समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया था और कब्जा देवीलाल को सौप दिया था जिस पर देवीलाल काश्त कर अलग से सीव कायम कर रखी थी।

देवीलाल पुत्र हरिराम द्वारा उक्त भूमि दिनांक 28.08.1974 को सोहनलाल पुत्र हरिराम जाति जाट को विक्रय कर समस्त भूमि एकल भूमि का कब्जा दे दिया था। सोहनलाल पुत्र हरिराम ने दिनांक 25.04.1975 को उक्त भूमि विक्रय करके कब्जा सायला को दे दिया था और सायला लगातार निर्वहन रूप से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रही है।

रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 81 का विक्रय समस्त बेयनामा वर वक्त बन्दोबस्त आपरेशन के दौरान हुआ था तथा नानुराम ने अपनी समस्त भूमि का विक्रय कर चुका था किन्तु मिसल बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्द्राज जन्मजात शुन्य है जब नानुराम ने अपनी समस्त भूमि विक्रय ही कर दी तो बन्दोबस्त में कब्जा देवीलाल का था जो भूमि देवीलाल पुत्र हरिराम की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नानु के नाम दर्ज कर विधि विरूद्व कार्य किया है इसलिये सायला धोषणा करा पाने की अधिकारी है कि नानुराम द्वारा भूमि विक्रय के बाद उसका कोई हिस्सा शेष ही नही रहा इसलिये बन्दोबस्त विभाग द्वारा नानु का नाम दर्ज करना विधि विरूद्व है देवीलाल की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी।

नानुराम के द्वारा विक्रय करने के बाद देवीलाल द्वारा लगातार काश्त होती रही तत्पश्चात खसरा न0 81 की एकल सीव से ही सोहनलाल को विक्रय किया गया तथा सोहनलाल से ही सायला ने एकल सीव से की विक्रय की गई थी मिसल बन्दोबस्त के चलते हुए विक्रयनामें किये गये इसलिये नामान्तकरण की कार्यवाही न होने के कारण नानु के नाम 2.16 बिधास भूमि दर्ज हो गयी जबकि बन्दोबस्त में ही वादिया के कब्जा काश्त में भूमि को किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बिना मौका जांच किये नानु के नाम दर्ज करना विधि विरूद्व है इसलिये सायला के कब्जा काश्त की भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत अंकन करने से सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये वादिया खसरा न0 81 की 27.16 बीधा भूमि की खातेदारी धोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

रोही मौजा नहराना के साबिका खसरा न0 81 के हाल खसरा न0 43 की 27.16 बीधा भूमि में परिर्वतन हो चुकी है जीवनराम पुत्र रामुराम जो अन्य गावं का था जो बाद मं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

नहराना आकर फर्जी कुटरचित वारिसान बनाकर अपने नाम नानुराम की भूमि दर्ज करवा ली नानुराम व जीवनराम अलग अलग गोत्र है जिनका दुर तक कोई रिश्ता या सम्बध नही है और जीवनराम के असल पिता का नाम रामुराम है ने फर्जी वारिसनामा तेयार कर सायला को नुकसान पहूचानें की नियत से अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर सायला के कब्जा काश्त में दखल नही दे सहा तो झगडा करने में विश्वास रचाने वाला गैरसायल न0 1 को फर्जी बैयनामा बिना प्रतिफल प्राप्त किये दिनांक 21.12.2016 को करवा दिया जो सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है तथा कथित बेयनामा के आधार पर गैरसायल सायला के कब्जा काश्त में दखल देना चाहते है जिससे सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होगा अतः सायला जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह सायला के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा नेहराना के साबिका खसरा न0 81 वर्तमान खसरा न0 43 की 27.16 बीधा वादीया के कब्जा काश्त में गैरसायल मदाखलत बेजा ना करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया गैरसायलान का देहान्त होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया गैरसायल न0 1 व 2/1 से 2/3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की ।

नानूराम नु अपने समस्त भूमि का बैयनामा कभी नही करवाया था बन्दोबस्त विभाग ने 2.06 बीधा भूमि नानू वल्द मौजीराम ने दर्ज है जब सायला ने 25 बीधा भूमि खरीद की है तो उसे शेष भूमि 2.16 बीधा भूमि से कोई सरोकार नही है देवीलाल पुत्र हरिराम ही खातेदारी होने के कारण कोई क्लेम कर सकता है सायला क्लेम करने की अधिकारी नही है नानूराम के नाम भूमि 2.16 बीधा बेचने से पूर्व व स्वतन्त्र अधिकार था तथा देवीलाल के खातेदारी के लिये कभी भी वाद प्रस्तुत नही किया गया है सायला अपनी खरीदशुद्वा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का क्लेम करने की अधिकारी नही है। नानुराम ने वाद भूमि बैय होने के बाद देवीलाल व सोहनलाल ने कभी काश्त नही की है उनके बैयनामें में जीतनी भूमि थी वो उनके नाम से दर्ज केवल भूमि 2.16 बीधा भूमि मिन गैरससायल न0 1 की खरदी की गई भूमि है सायला ने लालचवंश मिथ्या कथन अंकित किये है सायला खसरा न0 81 जो कि साबिका कागजात सम्वत 2029 से 2038 से पूर्व का खसरा है जो वर्तमान में खसरा न0 43 मे तब्दील हो चुका है सायला स्वय वाद भूमि 27.16 बीधा नानू वल्द मौजीराम की होना स्वीकार कर रही है जबकि 25.00 बीधा भूमि की सायला हकदार है शेष 2.16 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है।

जीवणराम – नानुराम का पुत्र है नामान्तकरण दर्ज करते समय वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर जीवन के नानू का पुत्र के आधार पर दर्ज हुआ है जीवनराम व रामुराम का पत्र् है यदि वारिस होने के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज है तो सिविल न्यायालय में वाद पेश करे ।

मिन गैरसायल न0 1 की 56 हिस्सा भूमि बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को खरीद शुद्वा है इसलिए सायला को नानूराम की शेष भूमि पर वाद लाने की अधिकारीता नही है तथा बैयनामा जो कि इन्द्रसिह वल्द जसराम के पक्ष में करवाया गया है यह बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को करवाया गया है इन्द्र के पक्ष में दिनांक 21.12.2016 को कोई बैयनामा नही करवाया गया है जो बैयनामा दिनांक 21.12.2016 अस्तित्व में ही नही उसको शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष बेबुनियाद है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है।

गैरसायल न0 1 ने रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 43 की 7.0300हैक्ट भूमि में से 56 हिस्सा भूमि का बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को करवा दिया वाद भूमि का कब्जा काश्त मृतक गैरसायल न0 2 को सौपा था तथा गैरसायल न0 1 ने उक्त भूमि जीवनराम वल्द नानुराम ने दिनांक 27.07.2016 को खरीद की थी वर्तमान में गैरसायल न0 1 वाद भूमि पर काब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है तथा सायला वाद भूमि में बैयनामें जो शुन्य घोषित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

करवा पाने की अधिकारीणी नही है तथा रजिस्ट बैयनामा केवल शुन्य घोषित कराने का सिविल कोर्ट को क्षैत्राधिकार है सायला को कब्जा काश्त के अभाव में वाद पोषणीय है अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि सायला का प्रार्थना पत्र. खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब पेश होने पर शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नेहराना के साबिका खसरा न0 81 की 25.00 बीधा भूमि नानुराम पुत्र मोजीराम के नाम 25.18 बीधा खातेदारी दर्ज थी तथा उसके चिपते हुए खसरा में 2.16 बीधा भूमि थी जिसको नानुराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.04. 1974 को देवीलाल पुत्र हरिराम को विक्रय कर दी मौका पर कब्जा दिया जाकर समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया था और कब्जा देवीलाल को सौप दिया था जिस पर देवीलाल काश्त कर अलग से सीव कायम कर रखी थी।

देवीलाल पुत्र हरिराम द्वारा उक्त भूमि दिनांक 28.08.1974 को सोहनलाल पुत्र हरिराम जाति जाट को विक्रय कर समस्त भूमि एकल भूमि का कब्जा दे दिया था। सोहनलाल पुत्र हरिराम ने दिनांक 25.04.1975 को उक्त भूमि विक्रय करके कब्जा सायला को दे दिया था और सायला लगातार निर्वहन रूप से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रही है।

रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 81 का विक्रय समस्त बेयनामा वर वक्त बन्दोबस्त आपरेशन के दौरान हुआ था तथा नानुराम ने अपनी समस्त भूमि का विक्रय कर चुका था किन्तु मिसल बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्द्राज जन्मजात शुन्य है जब नानुराम ने अपनी समस्त भूमि विक्रय ही कर दी तो बन्दोबस्त में कब्जा देवीलाल का था जो भूमि देवीलाल पुत्र हरिराम की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा नानु के नाम दर्ज कर विधि विरूद्व कार्य किया है इसलिये सायला धोषणा करा पाने की अधिकारी है कि नानुराम द्वारा भूमि विक्रय के बाद उसका कोई हिस्सा शेष ही नही रहा इसलिये बन्दोबस्त विभाग द्वारा नानु का नाम दर्ज करना विधि विरूद्व है देवीलाल की खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी।

नानुराम के द्वारा विक्रय करने के बाद देवीलाल द्वारा लगातार काश्त होती रही तत्पश्चात खसरा न0 81 की एकल सीव से ही सोहनलाल को विक्रय किया गया तथा सोहनलाल से ही सायला ने एकल सीव से की विक्रय की गई थी मिसल बन्दोबस्त के चलते हुए विक्रयनामें किये गये इसलिये नामान्तकरण की कार्यवाही न होने के कारण नानु के नाम 2.16 बिधास भूमि दर्ज हो गयी जबकि बन्दोबस्त में ही वादिया के कब्जा काश्त में भूमि को किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बिना मौका जांच किये नानु के नाम दर्ज करना विधि विरूद्व है इसलिये सायला के कब्जा काश्त की भूमि बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत अंकन करने से सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये वादिया खसरा न0 81 की 27.16 बीधा भूमि की खातेदारी धोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

रोही मौजा नहराना के साबिका खसरा न0 81 के हाल खसरा न0 43 की 27.16 बीधा भूमि में परिर्वतन हो चुकी है जीवनराम पुत्र रामुराम जो अन्य गावं का था जो बाद मं नहराना आकर फर्जी कुटरचित वारिसान बनाकर अपने नाम नानुराम की भूमि दर्ज करवा ली नानुराम व जीवनराम अलग अलग गोत्र है जिनका दुर तक कोई रिश्ता या सम्बध नही है और जीवनराम के असल पिता का नाम रामुराम है ने फर्जी वारिसनामा तेयार कर सायला को नुकसान पहूचानें की नियत से अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर सायला के कब्जा काश्त में दखल नही दे सहा तो झगडा करने में विश्वास रचाने वाला गैरसायल न0 1 को फर्जी बैयनामा बिना प्रतिफल प्राप्त किये दिनांक 21.12.2016 को करवा दिया जो सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है तथा कथित बेयनामा के आधार पर गैरसायल सायला के कब्जा काश्त में दखल देना चाहते है जिससे सायला को नापुरा होने वाला नुकसान होगा अतः सायला जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि वह सायला के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की नानूराम नु अपने समस्त भूमि का बैयनामा कभी नही करवाया था बन्दोबस्त विभाग ने 2.06 बीधा भूमि नानू वल्द मौजीराम ने दर्ज है जब सायला ने 25 बीधा भूमि खरीद की है तो उसे शेष भूमि 2.16 बीधा भूमि से कोई सरोकार नही है देवीलाल पुत्र हरिराम ही खातेदारी होने के कारण कोई क्लेम कर सकता है सायला क्लेम करने की अधिकारी नही है नानूराम के नाम भूमि 2.16 बीधा बेचने से पूर्व व स्वतन्त्र अधिकार था तथा देवीलाल के खातेदारी के लिये कभी भी वाद प्रस्तुत नही किया गया है सायला अपनी खरीदशुद्वा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का क्लेम करने की अधिकारी नही है। नानुराम ने वाद भूमि बैय होने के बाद देवीलाल व सोहनलाल ने कभी काश्त नही की है उनके बैयनामें में जीतनी भूमि थी वो उनके नाम से दर्ज केवल भूमि 2.16 बीधा भूमि मिन गैरससायल न0 1 की खरदी की गई भूमि है सायला ने लालचवंश मिथ्या कथन अंकित किये है सायला खसरा न0 81 जो कि साबिका कागजात सम्वत 2029 से 2038 से पूर्व का खसरा है जो वर्तमान में खसरा न0 43 मे तब्दील हो चुका है सायला स्वय वाद भूमि 27.16 बीधा नानू वल्द मौजीराम की होना स्वीकार कर रही है जबकि 25.00 बीधा भूमि की सायला हकदार है शेष 2.16 बीधा भूमि गैरसायल न0 1 खातेदार काश्तकार है।

जीवणराम – नानुराम का पुत्र है नामान्तकरण दर्ज करते समय वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर जीवन के नानू का पुत्र के आधार पर दर्ज हुआ है जीवनराम व रामुराम का पत्रु है यदि वारिस होने के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज है तो सिविल न्यायालय में वाद पेश करे ।

मिन गैरसायल न0 1 की 56 हिस्सा भूमि बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को खरीद शुद्वा है इसलिए सायला को नानूराम की शेष भूमि पर वाद लाने की अधिकारीता नही है तथा बैयनामा जो कि इन्द्रसिह वल्द जसराम के पक्ष में करवाया गया है यह बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को करवाया गया है इन्द्र के पक्ष में दिनांक 21.12.2016 को कोई बैयनामा नही करवाया गया है जो बैयनामा दिनांक 21.12.2016 अस्तित्व में ही नही उसको शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष बेबुनियाद है जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है।

गैरसायल न0 1 ने रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 43 की 7.0300हैक भूमि में से 56 हिस्सा भूमि का बैयनामा दिनांक 19.12.2016 को करवा दिया वाद भूमि का कब्जा काश्त मृतक गैरसायल न0 2 को सौपा था तथा गैरसायल न0 1 ने उक्त भूमि जीवनराम वल्द नानुराम ने दिनांक 27.07.2016 को खरीद की थी वर्तमान में गैरसायल न0 1 वाद भूमि पर काब्जा काश्त अनवरत चला आ रहा है तथा सायला वाद भूमि में बैयनामें जो शुन्य घोषित करवा पाने की अधिकारीणी नही है तथा रजिस्ट बैयनामा केवल शुन्य घोषित कराने का सिविल कोर्ट को क्षैत्राधिकार है सायला को कब्जा काश्त के अभाव में वाद पोषणीय है अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि सायला का प्रार्थना पत्र. खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी है या नही नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण , सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा नेहराना के साबिका खसरा न0 81 वर्तमान खसरा न0 43 की 27.16 बीधा भूमि सायला एवं जीवनराम वल्द नानुराम के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है एवं बैयनामा दिनांक 27.07.2016 के अनुसार जीवनराम वल्द नानुराम ने अपना 56 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 को बेचान की गई है अर्थात गैरसायल न0 1 बैयनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान व गैरसायलान दोनो के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

सायला का कथन है की रोही मौजा नहराना की साबिका खसरा न0 81 की समस्त भूमि खरीद की गई थी जिसका ऐकल खेत है स्वीकार योग्य नही है सायला के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार सायला ने साबिका खसरा न0 81 की 25.00 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो वर्तमान खसरा न0 43 में पैमुद हुआ है सायला जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि तक ही अन्य को कब्जा ना करने हेतु पाबन्द करवाने की अधिकारी है एवं सायला ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया कि उसका वाद भूमि 2.16 बीधा भूमि पर किसी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

प्रकार से हक हिस्सा है मात्र कथनों के आधार पर सयुक्त खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है।

गैरसायलान न0 2/1 से 2/3 के पिता जीवनराम वल्द नानुराम ने दिनांक 27.07.2016 को जरिये बैयनामा रोही मौजा नहराना के खसरा न0 43 की 56 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 को बेचान की गई थी जो प्रस्तुत बैयनामा से पूर्णत्या साबित है तथा गैरसालय न0 1 ने उक्त भूमि का बेयनामा दिनांक 19.12.2016 को गैरसायल न0 2 को करवाया गया है जो बेयनामा से साबित है सायला ने उक्त 56 हिस्सा भूमि खरीद की गई है को कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है।

सायला को उक्त बैयनामा के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर बैयनामा निरस्त करवाने की कार्यवाही कर सकती है उक्त बैयनामा रजिस्टर दस्तावेजात है जिन्हे मात्र कथनों के आधार पर शुन्य नही किया जा सकता या माना जा सकता है।

सायला ने रोही मौजा नेहराना की 25.18 बिश्वा भूमि का बैयनामा प्रस्तुत किया गया है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायला 500 हिस्सा अर्थात 25 बीधा भूमि का पेश किया गया है जो साबिका खसरा से हाल खसरा में भूमि पैमुद होने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 25 बीधा भूमि दर्ज हुई है सायला ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो की उसके द्वारा साबिका खसरा न0 81 हाल खसरा न0 43 की 27.16 बीधा भूमि खरीद की गई हो मात्र कथन किया है कि एकल खेत है और कब्जा काश्त में है कथनो कें आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है वारिसान के सम्बध में विवेचन वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय हो होगा की नानुराम का जीवनराम वारिस था या नही ।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायला के साथ जीवनराम पुत्र नानुराम सयुक्त खाता में दर्ज है और जीवनराम पुत्र नानुराम के द्वारा करवाये गये बेयनामा एवं गेरसायल न0 1 के द्वारा करवाये गये 56 हिस्सा के बैयनामा के आधार पर गैरसायल न0 2 खरीददार खातेदार काश्तकार है सायला बिना किसी ठोस आधार के समस्त भूमि पर गैरसायल को पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है सायला अपने खरीदशुद्वा भूमि की हद तक गैरसालयान को पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि उसकी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का मदाख्लत बेजा ना करे समस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अपूर्णीय क्षति खरीददार को होती है अर्थात गैरसालयान को होगी ना की सायला को इसलिये अपूर्णीय क्षति का बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में तय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में नही होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 26.12.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है तथा गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि सायला के नाम से रोही मौजा नेहराना के खसरा न0 43 की 500 हिस्सा भूमि जो सायला के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद एवं उक्त भूमि में यदि खाला या रास्त है तो उस पर यह आदेश प्रभावी नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)